बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

1344(9)
26/12/2018

अधिसूचना

सं0सं0–9/कोर्ट–10–06/2015– /स्वा0, पटना, दिनांक– /12/2018

डा0 शिवनारायण सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखई, सिवान सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया के दिनांक 26.10.1992 से 21.05.2001 तक अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–220(9) दिनांक 07.03.2006 के द्वारा इनके विरूद्ध निम्नांकित शास्ति अधिसूचित की गई थी:–

(क) निन्दन की सजा,

(ख) पॉच वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक,

(ग) आरोप के वर्षों से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं

(घ) अनुपस्थिति की अवधि को वेतन रहित अवस्था के रूप में विनियमन तथा निलम्बन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान ।

2– इस शास्ति के विरूद्ध डा0 सिंह के द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–10405/2010 दायर किया गया । विभागीय समीक्षोपरान्त डा0 सिंह को विभागीय संकल्प संख्या–618(9) दिनांक 16.07.2009 के द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया । डा0 सिंह के द्वारा इस बर्खास्तगी आदेश को भी सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–10405/2010 में डा0 सिंह के द्वारा challenge किया किया गया ।

3– माननीय न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–10405/2010 में दिनांक 21.08.2014 को आदेश पारित किया गया, जिसका operative अंश निम्नवत् है :–

"Since I have already quashed the order dated 16.07.2009 by which punishment of dismissal from service has been imposed upon the petitioner, he will be required reinstated forthwith. As regards the petitioner's claim for arrears of salary, he will be at liberty to file a representation before the concerned authority to the effect that during the period he remained out of service by virtue of the said order of dismissal dated 16.07.2009, he was not gainfully employed elsewhere. The petitioner's back wages for the said period can be denied by the authority

only after they come to a finding on the basis of material available on record that the petitioner was gainfully employed elsewhere, during the said period. However, as a result of quashing of the order/notification date 07.03.2006 (Annexure-12B), the matter will go back to the disciplinary authority to proceed further from the stage or submission of the enquiry report. If the disciplinary authority proposes to proceed against the petitioner they will have to serve upon the petitioner tentative notes of disagreement within a period of two months from the date of receipt/production of a copy of this order. The Court expects that the respondents will take a final decision within four months thereafter. The Petitioner's other claims as raised in the present proceeding will depend upon the final out come of the disciplinary proceeding with respect to which final decision has to be taken by the respondent in the light of present order."

4– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–1373/2015 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 01.12.2015 को पारित आदेश के द्वारा एल0पी0ए0 को निरस्त कर दिया गया । इस अवधि में डा0 सिंह द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–14405/2010 में दिनांक 21.08.2014 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण अवमाननावाद संख्या 650/2015 दायर किया गया, जिसमें क्रमिक सुनवाई एवं विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या–3741/2016 में पारित आदेश, दिनांक 09.02.2017, 10.02.2017 एवं 17.02.2017 के आलोक में डा0 सिंह को सेवा में पुनर्बहाल किया गया एवं backwages का भी आंशिक भुगतान किया गया । साथ–ही विभागीय समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–574(9) दिनांक 29.05.2018 द्वारा दिनांक 20.10.1992 से 19.09.1997 तक की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया ।

5– डा0 सिंह के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा के साथ–साथ निलम्बन अवधि में शेष राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया । इस क्रम में उनके द्वारा प्रदत्त आवेदन एवं संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन तथा विभागीय अभिलेख के समीक्षोपरान्त स्पष्ट

होता है कि दिनांक 20.09.1997 से 23.06.2001 तक डा0 सिंह पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, अतः इस अवधि को तद्नुरूप स्वीकृत करते हुए दिनांक 04.05.2004 से 07.03.2006 तक के निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर अवशेष राशि के भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

6– इसमें सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक : 9/कोर्ट–10–06/2015–1344(9) स्वा0, पटना ,दिनांक 26/12/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (ले0 एं0 ह0) बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमण्डल, गया/सिविल सर्जन, गया/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 शिवनारायण सिंह, द्वारा, डा0 अजय कुमार, एम0एस0 (ऑर्थो0), निरामिया हॉस्पीटल, सम्प हाउस के नजदीक, कंकड़बाग, पटना–800020/डा0 शिवनारायण सिंह, चि0 पदा0, अधीक्षक कार्यालय, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जी0 पी0–4, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वा0 के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26.12.18

सरकार के उप सचिव